



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail : corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911



क्रमांक. 98.11 / उद्यान शा. / न.पा.नि. / 2025 रायगढ़, दिनांक 15 / 12 / 2025

:- द्वितीय ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिक निगम, रायगढ़ उद्यान शाखा में वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी निविदा होने तक के लिए सिविल कार्य जैसे - गार्डन, तालाब व डिवाइडर गार्डन आदि के मरम्मत/संधारण कार्य, कार्य की लागत राशि 16.00/- लाख रु., अमानत राशि 12,000.00/- रु., निविदा प्रपत्र शुल्क 750.00/- रु. हेतु (PWD SOR 01-01-2015) से लागू SOR से कम/अधिक अथवा समान दर पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों (डी वर्ग या उससे ऊपर) से निविदा प्रपत्र "अ" में दे होगा। उपरोक्त कार्य की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी System Tender No. 18.17.8.2 ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.govt.in/uad.cg.gov.in/WWW.nagarnigamraigarh.com> से देखी जा सकती है, निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 02.01.26 अपराह्न 04:00 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद पद्धति से आमंत्रित की जाती है।


कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र 98.11 / उद्यान शा. / न.पा.नि. / 2025
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 15.12.25

1. मान. महापौर/सभापति, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र को से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. आवक शाखा, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

—: वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवीन सिविल कार्य (उद्यान शाखा) के नियम एवं शर्तें :—

1. निविदा प्रपत्र नगर निगम रायगढ़ की वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र फॉर्म A को डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य का डिमांड ड्रॉफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, संबंधित कार्य का नाम, पूर्ण पता, विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
2. सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार (डी वर्ग या उससे ऊपर) द्वारा आयकर विवरणी (विगत 03 वर्ष) प्रमाण पत्र, पेन नम्बर के प्रति, GST नम्बर तथा मांग किये गये अन्य तकनीकी दस्तावेज के साथ निर्धारित अमानत राशि टी.डी. आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर./बैंकर्स चैक तथा निर्धारित प्रपत्र शुल्क डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, 100.00/- रु. नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर (annexure 13) देना होगा।
3. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।
4. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णता बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकर द्वारा निविदा दर समस्त करें सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नहीं करने पर आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा, निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
9. कार्य के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम/कार्य विभाग मेन्युअल/भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संसोधित 2022) समान रूप से प्रभावशील एवं बंधनकारी रहेंगे।
10. उपरोक्त सिविल कार्य में उपयोग किये जाने वाले सामग्री उच्च गुणवत्ता (ISI/ISO मार्क रजिस्टर्ड कंपनी) की होनी चाहिए।
11. कार्य प्रारंभ नहीं करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा निविदाकार को आगामी 06 माह के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।
12. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व, स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न होवें।
13. कार्यादेश देने के 07 दिवस भीतर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी निविदा होने तक के लिए उद्यान शाखा में नवीन सिविल कार्य यथा विभिन्न मद जैसे— मरम्मत संधारण, निगम मद, पार्श्व मद एवं जल कष्ट मद से कार्य किये जाने हेतु किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुरूप कार्यादेश प्रदान कर भुगतान किया जावेगा। इस अवधि में मूल्य वृद्धि के लिए ठेकेदार स्वयं जिमेदार रहेंगे, भुगतान की कार्यवाही अनुबंध के दर के अनुरूप ही की जावेगी।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)